प्रेस नोट–192 / 2026
दिनांक 06.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली तथा मुरादाबाद इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 06.04.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली तथा मुरादाबाद इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई द्वारा श्री वेदप्रकाश निवासी ग्राम रोठा थाना किला जनपद बरेली से सीज ट्रैक्टर ट्राली अवमुक्त कराने व जुर्माने सम्बन्धी पत्रावली जिलाधिकारी कार्यालय में अग्रेसित कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार्यालय खनन अधिकारी, खनन विभाग बरेली से **लिपिक महमूद रजा खाँ (कार्यालय खनन अधिकारी बरेली)** पुत्र स्व0 नवी रजा खाँ निवासी ग्राम परसाखेग थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई द्वारा श्री अब्दुल जाहिद निवासी वार्ड नं0-1 मोहल्ला स्वार खास थाना स्वार जनपद रामपुर से कृषि भूमि में विरासत दर्ज करने के आनलाइन आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री कृष्ण अवतार के नेतृत्व में दढियाल तिराहे से बाजपुर की तरफ को जाने वाली सडक पर तिराहे से 100 मीटर आगे रोड से **राजस्व लेखपाल शम्भू कुमार (तहसील टाण्डा रामपुर)** पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम शिकारगाह पोस्ट व तहसील टाण्डा जनपद रामपुर को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–193/2026
दिनांक 06.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 हजार 400 रूपये नगद**
- **पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/ खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.04.2026 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौराडाडा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुल्तान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया एवं एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 12 हजार 400 रूपये नगद, पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/ खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर नगर, उन्नाव के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुल्तान निवासी सोलह बीघा नैथानी बिल्डिंग के पास थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—12 हजार 400 रूपये नगद।

2—पीली धातु के आभूषण, 01 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/ खोखा कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद पीलीभीत/थाना अमरिया

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली धातु के आभूषण**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.04.2026 को थाना अमरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमरिया—सितारगंज हाईवे के पास से 03 अभियुक्तों 1—इरफान इमदाद हुसैन शेख उर्फ राज 2—समीर 3—जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से पीली धातु के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इरफान इमदाद हुसैन शेख उर्फ राज के विरूद्ध जनपद पीलीभीत व महाराष्ट्र के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अमरिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इरफान इमदाद हुसैन शेख उर्फ राज निवासी रसीद कम्पाउण्ड कौसा थाना मुमरा थाणे महाराष्ट्र, हालपता गुलरबोझ कॉलोनी थाना गदरपुर जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

2—समीर निवासी बनबुलपुरा लाइन नं0—12 हल्द्वानी नैनीताल, हालपता गूलरबोझ कॉलोनी थाना गदरपुर जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

3—जलालुद्दीन निवासी ठंडा नाला गूलरबोझ थाना गदरपुर जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1—पीली धातु के आभूषण।

2—02 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद पीलीभीत/थाना बीसलपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 493 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.04.2026 को थाना बीसलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभयपुर चैना नकटी वाले रास्ते से 02 अभियुक्तों 1—सौरभ 2—शैलेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 493 ग्राम अवैध अफीम, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना बीसलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरभ निवासी ग्राम गुलैंदा गौटिया, थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

2—शैलेन्द्र निवासी ग्राम गुलैंदा गौटिया, थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 05 लाख रूपये कीमत के 01 किलो 493 ग्राम अवैध अफीम।

2—01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद बलिया/थाना पकड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना पकड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/87 बीएनएस व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सलमान उर्फ समादन को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना धौलाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना धौलाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रितिक उर्फ ऋतिक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————